उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

राजकीय आई0टी0आई0 परिसर अलीगंज, लखनऊ

संख्याः 274/उ0प्र0कौ0वि0मि0/2021–22/लेखा/टीडीएस/789

दिनांक : 02 जून, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वर्तमान में विभिन्न अनुबंधित संस्थाओं/सेवा प्रदाताओं को प्रोफेशनल व गैर प्रोफेशनल सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु नियमित रूप से भुगतान किया जाता है, जिनके देयकों से प्रत्यक्ष कर के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत एक निश्चित प्रतिशत में धनराशि की कटौती की जानी प्राविधानित है।

2. वित्त मंत्रालय (प्रत्यक्ष कर बोर्ड) भारत सरकार के परिपत्र संख्याः 65/39/2018–डीओआर यथा संशोधित दिनांक 14.09.2018 के अनुसार विभिन्न श्रेणी की अनुबंधित संस्थाओं एवं सेवा प्रदाताओं के देयकों से आयकर की निम्नानुसार कटौती की जा रही हैः–

क्र.सं.	आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय, (प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के परिपत्र दिनांक 14.09.2018 में निर्धारित दरें, जो वित्तीय वर्ष 2021–22 में भी प्रभावी हैं	अनुबंधित संस्थाओं के प्रकार	आयकर कटौती की दर प्रतिशत में (वैध पैन नम्बर उपलब्ध कराने की दशा में)
1.	धारा 194 (C)	समस्त अनुबंधित गैर प्रोफेशनल सेवाएं/संस्थाएं	2%
2.	धारा 194 (J)	कॉल सेन्टर संचालन से सम्बन्धित अनुबंधित सेवाएं	2%
3.	धारा 194 (J)	प्रोफेशनल सेवाएं उदाहरणार्थ– पीएमयू (संकल्प) का प्रबंधन व संचालन	10%
4.	धारा 196	राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता (पूर्ण सरकारी विभाग)	NIL

आयकर की कटौती का आगणन देयक की मूल धनराशि (Principal Amount) पर किया जा रहा है। उक्त दरें वित्त मंत्रालय (प्रत्यक्ष कर बोर्ड), भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दरों/श्रेणियों के आधार पर संशोधनीय होंगी।

2/6/21

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक

संख्याः /उ0प्र0कौ0वि0मि0/2021–22/लेखा/टीडीएस/789 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।
2. वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।
3. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
4. समस्त अनुबंधित सेवा प्रदाता, (प्रोफेशनल एवं गैर प्रोफेशनल), उ0 प्र0 कौशल विकास मिशन।
5. प्रबंधक, आई.टी. को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक